

पत्रांक-1/ब0 1-19/2026-127/

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,

प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली।

पटना दिनांक 27/8/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में निधि का आवंटन।

महाशय,

प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के संविदा राशि के भुगतान के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-08 के अधीन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-0004-प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली, विपत्र कोड 08-2205001070004", के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2802-संविदा सेवाएँ में निम्नांकित रूप से तत्काल कुल राशि ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र का आवंटन आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है:-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन	शेष उपबंध
2802-संविदा सेवाएँ	1000000	0	1000000	1000000	0
योग -	1000000	0	1000000	1000000	0

तत्काल आवंटित राशि ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236/वि0, दि0 09.03.2026 तथा 926/वि0 दिनांक 31.07.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 100 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 राशि की व्यवस्था प्रथम अनुपूरक आगणन 2026-27 के माध्यम से की गयी है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6 उक्त आवंटन की व्यय विवरणी शीघ्र भेजे।

विश्वासभाजन

(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 27/8/2026

ज्ञापांक 127/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 122/

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/मेकर बजट शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 27/8/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।